

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 28-11-2025

- » सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऑनलाइन-कंटेंट को विनियमित करने की आवश्यकता पर बल
- » कानून मंत्रालय द्वारा अपने समानांतर चुनाव प्रस्ताव का बचाव
- » रणनीतिक स्वायत्ता की ओर: भारत की प्रथम एकीकृत REPM योजना
- » भविष्य के लिए तैयार सेना बनाने का रोडमैप

संक्षिप्त समाचार

- » कोवाचिका की नैव (Naïve) पेंटिंग
- » भारत और इंडोनेशिया द्वारा ब्रह्मोस डील पर प्रगति
- » टेक्स-रैम्प्स(Tex-RAMPS) योजना
- » बुनियादी पशुपालन सांच्चिकी 2025
- » केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति
- » स्काईरूट का प्रथम ऑर्बिटल रॉकेट, विक्रम-

The Real Day-Night Test Is In Mum



सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऑनलाइन-कंटेंट को नियमित करने की आवश्यकता पर बल

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने उपयोगकर्ता-जनित सामग्री पर सख्त दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक निष्पक्ष, स्वायत्त नियामक की मांग की।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ/सुझाव

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने के लिए एक निष्पक्ष, स्वायत्त प्रणाली होनी चाहिए जो किसी भी प्रभाव से मुक्त हो।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल्यवान मौलिक अधिकार है, लेकिन यह विकृति या अश्लीलता की ओर नहीं ले जा सकती।
 - ऐसा कोई तंत्र होना चाहिए जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की भी रक्षा हो सके।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि उपयोगकर्ता की आयु सत्यापित करने के लिए आधार संख्या या आयकर पैन का उपयोग किया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से चार सप्ताह के अंदर सार्वजनिक परामर्श हेतु मसौदा नियम लाने को कहा है।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि वह सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के साथ प्रकाशित आचार संहिता में संशोधन करने की योजना बना रहा है ताकि सभी डिजिटल सामग्री के लिए अश्लीलता पर दिशानिर्देश शामिल किए जा सकें।
- प्रस्तावों में विभिन्न आयु समूहों के लिए ऑनलाइन सामग्री की रेटिंग और राष्ट्र-विरोधी डिजिटल सामग्री पर रोक शामिल है।
- यह प्रस्ताव अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(2) के तहत लगाए गए युक्तिसंगत प्रतिबंधों के अनुरूप रखा गया है।

डिजिटल सामग्री सेंसरशिप

- डिजिटल सामग्री सेंसरशिप का अर्थ है ऑनलाइन सामग्री पर सरकारों, संगठनों या अन्य संस्थाओं द्वारा नियंत्रण। इसमें शामिल हैं:
 - वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक करना;
 - सोशल मीडिया सामग्री को हटाना;
 - ओटीटी (Over-The-Top) स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का नियमन;
 - डिजिटल समाचार और पत्रकारिता पर प्रतिबंध।

सेंसरशिप की आवश्यकता

- भ्रामक जानकारी और फेक न्यूज पर रोक:** अफवाहों के तीव्रता से फैलाव को रोकता है जो भीड़ हिंसा, घबराहट और सार्वजनिक अव्यवस्था को उत्पन्न कर सकते हैं।
- घृणा भाषण और सांप्रदायिक सामग्री पर नियंत्रण:** ऐसी सामग्री को रोकना आवश्यक है जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देती है, हिंसा भड़काती है या सामाजिक सद्व्यवहार को खतरे में डालती है।
- बच्चों और संवेदनशील समूहों की सुरक्षा:** हानिकारक, अश्लील, हिंसक या भ्रामक सामग्री तक पहुँच को सीमित करता है जो नाबालिगों का शोषण कर सकती है।
- प्लेटफॉर्म जवाबदेही में खामियाँ:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सामग्री मॉडरेशन में देरी करते हैं, पारदर्शिता की कमी होती है और प्रायः कमजोर प्रवर्तन तंत्र के कारण जिम्मेदारी से बचते हैं।
- साइबर अपराधों की रोकथाम:** बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), तस्करी, ड्रग मार्केट्स और अवैध वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी वेबसाइटों एवं ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने की आवश्यकता है ताकि साइबर अपराधों को रोका जा सके तथा संवेदनशील उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा हो सके।
- एआई खतरों और डीपफेक्स का समाधान:** एआई-जनित नकली वीडियो/फोटो को नियंत्रित करना आवश्यक है जो प्रतिष्ठा को हानि पहुँचा सकते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को विकृत कर सकते हैं और नागरिकों को गुमराह कर सकते हैं।

भारत में डिजिटल सेंसरशिप को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढाँचा

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)):** अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत शालीनता, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित युक्तिसंगत प्रतिबंधों के अधीन।
- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000:** धारा 69A सरकार को सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी चिंताओं के लिए ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।
- मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता, 2021:** सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल समाचार मीडिया को नियंत्रित करता है।
- ओटीटी प्लेटफॉर्म्स द्वारा स्व-नियमन:** नेटफिलक्स और अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रिवेन्सेस काउंसिल (DPCGC) जैसे स्व-नियामक ढाँचे का पालन करते हैं।
- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC):** जिसे सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अंतर्गत स्थापित किया गया था, भारत में फिल्मों की सेंसरशिप के लिए जिम्मेदार है।

भारत में डिजिटल सेंसरशिप की चुनौतियाँ

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नियमन का संतुलन:** अत्यधिक नियमन रचनात्मकता को दबा सकता है, जबकि कम नियमन हानिकारक सामग्री फैला सकता है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही:** सामग्री मॉडरेशन और सेंसरशिप के निर्णयों में प्रायः स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी होती है, जिससे दुरुपयोग की चिंताएँ बढ़ती हैं।
- अधिकार क्षेत्र संबंधी मुद्दे:** कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारत के बाहर से संचालित होते हैं, जिससे प्रवर्तन कठिन हो जाता है।
- प्रौद्योगिकीगत प्रगति:** डिजिटल मीडिया का तीव्रता से विकास लगातार और निष्पक्ष नियमन को जटिल बनाता है।

आगे की राह

- स्वतंत्र नियामक संस्थाओं को सशक्त बनाना:** सुनिश्चित करना कि न्यायालय और निष्पक्ष संस्थाएँ सेंसरशिप निर्णयों की समीक्षा करें।
- सामग्री मॉडरेशन में पारदर्शिता बढ़ाना:** डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सामग्री हटाने पर नियमित पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए।
- डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करना:** नागरिकों को फेक न्यूज पहचानने के लिए शिक्षित करना, बजाय प्रतिबंधात्मक सेंसरशिप लागू करने के।
- नीति निर्माण में सार्वजनिक परामर्श:** पत्रकारों, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज को डिजिटल सामग्री नियमन तैयार करने में शामिल करना।

Source: IE

कानून मंत्रालय द्वारा अपने समानांतर चुनाव प्रस्ताव का बचाव

संदर्भ

- केंद्रीय विधि मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित समानांतर चुनावों का ढाँचा संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता।

पृष्ठभूमि

- संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन), जिन्हें “वन नेशन वन इलेक्शन” विधेयक कहा जाता है, 2024 में विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए।
- इन विधेयकों में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को समन्वित करने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत किसी विशेष लोकसभा के बाद चुनी गई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल उसी लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।
 - एक बार जब विधानसभाओं के कार्यकाल एकसमान हो जाएँगे, तो आगामी आम चुनाव एक साथ आयोजित किया जाएगा।

- इन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये संविधान की मूल संरचना को प्रभावित न करें।
- JPC की बैठक 23वें विधि आयोग और चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ 4 दिसंबर को होगी।

केंद्रीय विधि मंत्रालय का दृष्टिकोण

- पाँच वर्ष का कार्यकाल:** संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172(1) स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा “जब तक कि पहले भंग न कर दिया जाए।”
 - मंत्रालय ने तर्क दिया कि इसे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर शामिल किया ताकि विशेष परिस्थितियों में समयपूर्व विघटन संभव हो।
- मूल संरचना सिद्धांत:** मूल संरचना सिद्धांत यह मांग करता है कि संविधान की कुछ मौलिक विशेषताएँ — जैसे राज्य के अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण — संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं और इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता।
 - विधेयक शक्तियों के पृथक्करण या संघवाद के सिद्धांत को कमजोर नहीं करते।
- केवल अवधि पर प्रभाव:** विधेयक मतदान की अवधि या आवृत्ति को प्रभावित करते हैं, न कि मतदान के अधिकार को, इसलिए यह मूल संरचना का उल्लंघन नहीं है।
- जवाबदेही पर कोई असर नहीं:** समानांतर चुनाव सरकार की जवाबदेही को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक सरकार अंतिम दिन तक जवाबदेह रहे।

समानांतर चुनाव क्या हैं?

- समानांतर चुनाव (वन नेशन वन इलेक्शन) का अर्थ है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना, ताकि चुनावों की आवृत्ति एवं उनसे जुड़ी लागत को कम किया जा सके।
- भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के समानांतर चुनाव 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में हुए थे।

- इसके बाद यह समय-सारणी बनाए नहीं रखी जा सकी और अब तक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव पुनः समन्वित नहीं हो पाए हैं।

वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में तर्क

- व्यय में कमी:** प्रत्येक वर्ष अलग-अलग चुनाव कराने में होने वाले भारी व्यय को कम करेगा।
- प्रक्रिया का सरलीकरण:** एक चुनाव चक्र का प्रबंधन कई अलग-अलग चुनावों की तुलना में सरल है।
 - इससे प्रशासनिक संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकता है।
- आचार संहिता (MCC) व्यवधानों में कमी:** बार-बार चुनाव होने से MCC का लंबे समय तक लागू रहना पड़ता है, जिससे नई नीतियों की घोषणा, बजटीय निर्णय, कल्याणकारी योजनाएँ और प्रशासनिक पहलें बाधित होती हैं।
- सीधी जवाबदेही:** समानांतर चुनावों से मतदाता केंद्रीय और राज्य शासन दोनों के लिए पार्टियों को एक साथ जवाबदेह ठहरा सकते हैं।
- सहकारी संघवाद को मज़बूती:** एकसमान चुनावी कैलेंडर संघ और राज्यों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करता है, नीति स्थिरता सुनिश्चित करता है और लगातार चुनावी अभियानों से होने वाले राजनीतिक टकराव को कम करता है।

वन नेशन वन इलेक्शन के विरुद्ध तर्क

- लॉजिस्टिक चुनौतियाँ:** सभी राज्यों और केंद्र सरकार को समय-सारणी एवं संसाधनों के समन्वय जैसी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
- स्थानीय प्राथमिकताएँ:** यह प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी को लाभ पहुँचा सकता है और क्षेत्रीय पार्टियों व मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों के कारण पीछे धकेल सकता है।
- जटिल सुधारों की आवश्यकता:** समानांतर चुनाव लागू करने के लिए बड़े संवैधानिक संशोधनों एवं वर्तमान चुनावी कानूनों में बदलाव की आवश्यकता होगी, जो कानूनी जटिलताएँ पैदा करेगा।

- संघवाद और राज्य स्वायत्तता:** कार्यकाल का समन्वय राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाता या बढ़ाता है, जिससे राज्यों की संवैधानिक स्वायत्तता कमज़ोर होती है।

आगे की राह

- सभी तीन स्तरों की सरकार के लिए समन्वित चुनाव शासन संरचना को बेहतर बनाएँगी। यह पारदर्शिता, समावेशिता, सरलता और मतदाताओं के विश्वास को बढ़ाएगा।
- विधि आयोग संभवतः** 2029 से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों (नगरपालिकाएँ और पंचायतें) के लिए समानांतर चुनाव कराने की सिफारिश करेगा।

Source: TH

रणनीतिक स्वायत्तता की ओर: भारत की प्रथम एकीकृत REPM योजना

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “सिन्टर्ड रेयर अर्थ परमानेट मैग्नेट्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना” को ₹7,280 करोड़ की वित्तीय राशि के साथ मंज़ूरी दी है।

योजना के बारे में

- यह अपनी तरह की प्रथम पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में प्रति वर्ष 6,000 मीट्रिक टन (MTPA) एकीकृत रेयर अर्थ परमानेट मैग्नेट (REPM) विनिर्माण क्षमता स्थापित करना है।
 - REPMs—जैसे नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (NdFeB) और समेरियम कोबाल्ट (SmCo)—विश्व के सबसे शक्तिशाली परमानेट मैग्नेट्स में से हैं।
 - क्षमता पाँच लाभार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित की जाएगी, प्रत्येक को अधिकतम 1,200 MTPA तक।
- योजना एकीकृत REPM विनिर्माण सुविधाओं के निर्माण का समर्थन करेगी, जिसमें रेयर अर्थ ऑक्साइड्स

को धातुओं में, धातुओं को मिश्रधातुओं में और मिश्रधातुओं को तैयार REPMs में परिवर्तित करना शामिल होगा।

- योजना की अवधि: 7 वर्ष

- 2 वर्ष: परियोजना पूरी होने की अवधि
- 5 वर्ष: प्रोत्साहन वितरण

भारत को इसकी आवश्यकता क्यों है?

- बढ़ती मांग:** REPMs विद्युत वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन, एयरोस्पेस, रक्षा एवं रणनीतिक प्रणालियों जैसी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
 - भारत की REPMs की मांग 2030 तक दोगुनी होने का अनुमान है।
- भारी आयात निर्भरता:** भारत वर्तमान में अपनी ~900 टन वार्षिक REPM आवश्यकता लगभग पूरी तरह आयात करता है।
- वैश्विक आपूर्ति संकट (2021–22)** ने कीमतों में 200–300% की वृद्धि की, जिससे भारत की कमज़ोरी उजागर हुई।
- रणनीतिक स्वायत्तता:** REPMs को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है। REPM उत्पादन सुनिश्चित करना इनसे जुड़ा है:
 - आत्मनिर्भर भारत
 - राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति
 - नेट ज़ीरो 2070
 - विकसित भारत @2047
- खनिज क्षमता:** भारत के पास विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार (~6.9 मिलियन टन) है, जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, झारखण्ड और राजस्थान में स्थित है।

चुनौतियाँ

- प्रौद्योगिकीय जटिलता:** NdFeB और SmCo मैग्नेट उत्पादन में अल्ट्रा-हार्ड वैक्यूम सिन्टरिंग और क्रायोजेनिक मिलिंग शामिल है।
 - भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट तकनीकों में विशेषज्ञता रखने वाले प्रशिक्षित धातुकर्मियों और इंजीनियरों की कमी है।

- चीन का प्रभुत्व:** चीन वैश्विक REPM उत्पादन का ~85–90% नियंत्रित करता है, जिससे प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाती है।
- उच्च पूंजी लागत:** एकीकृत REPM सुविधाओं के लिए उच्च तापमान भवियाँ, रेयर अर्थ शुद्धिकरण इकाइयाँ और पाउडर धातुकर्म लाइनें आवश्यक हैं।
- पर्यावरणीय और नियामक मुद्दे:** रेयर अर्थ प्रसंस्करण से निकलने वाला अपशिष्ट जल रेडियोधर्मी थोरियम और भारी धातुओं से युक्त होता है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM):** 2025 में शुरू किया गया, ताकि महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक सुदृढ़ ढाँचा स्थापित किया जा सके।
 - इस मिशन के अंतर्गत, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) को 2024-25 से 2030-31 तक 1,200 अन्वेषण परियोजनाएँ करने का कार्य सौंपा गया है।
- घरेलू क्षमता को सुदृढ़ करना:** IREL (India) Limited, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, प्रसंस्करण सुविधाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)** रेयर अर्थ धातु अपचयन और मिश्रधातु तकनीकों का विकास कर रहा है।
- अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ:** ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप और जापान के साथ महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति एवं तकनीकी साझेदारी पर समझौता ज्ञापन (MoUs)।
 - भारत 2023 में मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) में शामिल हुआ।
- मांग-पक्ष प्रेरक:** सौर मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन, ऑटो और EV घटकों के लिए उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (PLI) योजना।
 - EV मिशन अकेले 2047 तक प्रति वर्ष 15,000–20,000 टन REPMs की आवश्यकता कर सकता है।
- अनुसंधान और नवाचार:** BARC, ARCI और IITs उच्च-प्रदर्शन मैग्नेट अनुसंधान, पुनर्चक्रण योग्य मैग्नेट और अपशिष्ट-मुक्त निष्कर्षण तकनीकों को आगे बढ़ा रहे हैं।

निष्कर्ष

- यह पहल भारत में आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी REPM पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।
- स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करके यह महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करेगा, विद्युत गतिशीलता और नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन करेगा तथा राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा।
- यह योजना भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्यों में योगदान देती है, आयात निर्भरता को कम करती है और विकसित भारत @2047 की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है—एक तकनीकी रूप से उन्नत, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं सतत औद्योगिक आधार का निर्माण।

Source: PIB

भविष्य के लिए तैयार सेना बनाने का रोडमैप

समाचार में

- थलसेनाध्यक्ष ने 2047 तक भविष्य-उन्मुख सेना बनाने के लिए एक व्यापक तीन-चरणीय रोडमैप प्रस्तुत किया है, जो भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ सैन्य परिवर्तन को संरक्षित करता है।

व्यापक तीन-चरणीय रोडमैप

- योजना का बल आधुनिकीकरण, एकीकरण और लचीलापन पर है ताकि बदलती सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके।
- चरण:**
 - प्रथम चरण, ‘HOP 2032’, 2023 में शुरू की गई सेना की दशक-परिवर्तन पहल के अंतर्गत एक व्यापक ढाँचा तैयार करता है।
 - द्वितीय चरण, ‘STEP 2037’, प्रथम चरण से प्राप्त लाभों को सुदृढ़ करने की पाँच-वर्षीय अवधि है।
 - तृतीय चरण, ‘JUMP 2047’, जिसके अंतर्गत सेना एकीकृत और भविष्य-उन्मुख बल के रूप में उभरने का लक्ष्य रखती है।

क्या आप जानते हैं?

- थलसेनाध्यक्ष ने परिवर्तन योजना को आगे बढ़ाने के लिए चार ‘स्प्रिंगबोर्ड’ बताएः
 - ▲ स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता: घरेलू रक्षा विनिर्माण और तकनीकी आत्मसात को सुदृढ़ करना, जिसमें अधिक प्रगति की आवश्यकता है।
 - ▲ त्वरित नवाचार: प्रयोग से बड़े पैमाने पर प्रभाव की ओर बढ़ाना—एआई, साइबर, क्वांटम, स्वायत्त प्रणालियाँ, अंतरिक्ष और उन्नत सामग्रियों में।
 - ▲ अनुकूलन और पारिस्थितिकी तंत्र सुधार: बदलती सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संरचनाओं और प्रक्रियाओं का पुनर्गठन।
 - ▲ सैन्य-नागरिक समन्वय: अकादमिक जगत, उद्योग और सेना के बीच गहरा सामंजस्य बनाना, जैसे रेंज खोलना, स्टार्ट-अप्स को वित्तपोषित करना तथा राष्ट्रीय तकनीकी मिशनों में शामिल होना।

उद्देश्य और आवश्यकता

- यह रोडमैप भारत के बदलते सुरक्षा वातावरण से उत्पन्न हुआ है, जिसमें हाइब्रिड युद्ध, साइबर खतरों और क्षेत्रीय अस्थिरता की स्थिति है।
- विघटनकारी तकनीकों और विवादित सीमाओं के बढ़ने के साथ, सेना पारंपरिक युद्ध से आगे विकसित हो रही है।
- यह योजना सरकार के आत्मनिर्भर भारत रक्षा अभियान के अनुरूप है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी उत्पादन बेहतर होगा।

चुनौतियाँ

- भारत की रक्षा आधुनिकीकरण को प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे वित्तीय अनुशासन और उच्च लागत के बीच संसाधन सीमाएँ।
- उन्नत प्रणालियों के सीमित घरेलू उत्पादन के कारण तकनीकी अंतराल।
- नई सैन्य सिद्धांतों को एकीकृत करते हुए युद्ध-तत्पर बने रहने की परिचालन जटिलता।

- मानव संसाधन चुनौतियाँ—साइबर, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों में कर्मियों को प्रशिक्षित करना।

आगे की राह

- थलसेनाध्यक्ष ने भारत की सेना के लिए दीर्घकालिक परिवर्तन योजना प्रस्तुत की, जिसमें संरचनात्मक सुधार, सुदृढ़ नागरिक-सैन्य-ओद्योगिक साझेदारी और सतत अनुसंधान एवं विकास निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- लक्ष्य है 2047 तक एक भविष्य-उन्मुख, लचीली सेना का निर्माण करना, जो संप्रभुता की रक्षा कर सके और भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उदय का समर्थन कर सके, साथ ही वित्तीय एवं तकनीकी चुनौतियों के बावजूद क्षमताओं का आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण कर सके।

Source :TH

संक्षिप्त समाचार

कोवाचिका की नैव (Naïve) पेंटिंग

संदर्भ

- विगत वर्ष यूनेस्को ने कोवाचिका चित्रकारों को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में मान्यता दी।

परिचय

- सर्बिया के कोवाचिका की नैव (Naïve) पेंटिंग परंपरा का अर्थ है लोक जीवन, ग्रामीण परिवेश, इतिहास और दैनिक जीवन के चित्रण के साथ वस्तुओं को रंगना और सजाना।



- इसकी शुरुआत 1930 के दशक में कोवाचिका नगर से हुई और समय के साथ यह सर्बिया के अन्य स्लोवाक समुदाय वाले नगरों में फैल गई।
- कलाकार स्व-शिक्षित होते हैं, वे पारंपरिक संस्कृति, वस्तुओं, इतिहास और मूल्यों को दर्शने के लिए चमकीले रंगों में तेल रंग का उपयोग करते हैं।
- एक पहचान योग्य पहलू यह है कि यह परंपरा सर्बिया में स्लोवाक समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास को संप्रेषित करने का माध्यम है।
 - 2022 की जनगणना में स्लोवाक अल्पसंख्यक सर्बिया की जनसंख्या का एक प्रतिशत से भी कम था।
 - 2024 के एक अध्ययन में पाया गया कि विगत तीन दशकों में यह समुदाय घटा है, आंशिक रूप से वृद्ध होती जनसंख्या और स्लोवाकिया में प्रवासन के कारण।

यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर



- अब तक लगभग 730 तत्व, जो 5 क्षेत्रों और 145 देशों से संबंधित हैं, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं।
- भारत के 15 तत्व इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हैं, जो सभी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची का हिस्सा हैं।
 - गुजरात का गरबा 2023 में इस सूची में सबसे हालिया जोड़ था।

Source: TH

भारत और इंडोनेशिया द्वारा ब्रह्मोस डील पर प्रगति

संदर्भ

- भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों ने नई दिल्ली में तीसरे भारत-इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों के संवाद की संयुक्त अध्यक्षता की।

परिचय

- दोनों पक्षों ने प्रस्तावित ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सौदे पर उल्लेखनीय प्रगति की।
 - इंडोनेशिया ने ब्राह्मोस प्राप्त करने में गहरी रुचि बनाए रखी है, विशेषकर मलक्का जलडमरुमध्य और व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए।
 - इंडोनेशिया भारत से यह हथियार प्रणाली प्राप्त करने वाला दूसरा देश होगा, फिलीपींस के बाद, जिसने इसे 2022 में खरीदा था।
- सुपर गरुड़ शील्ड, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, मिलन और आगामी वायु युद्धाभ्यास अभ्यासों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, साथ ही अधिकारियों के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करने की योजनाओं पर चर्चा हुई।
- बैठक ने रक्षा सहयोग समझौते और संयुक्त रक्षा सहयोग समिति द्वारा संचालित रक्षा संबंधों की सुदृढ़ नींव को पुनः पुष्टि की।

ब्राह्मोस के बारे में

- इस मिसाइल को रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदियों पर रखा गया है।
- यह सुपरसोनिक मिसाइल लगभग मैक 3 की गति से उड़ सकती है (सुपरसोनिक गति के मामले में और अधिक) और इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है (इसके उन्नत संस्करणों में 500 या 800 किलोमीटर तक)।
- यह 200 से 300 किलोग्राम तक के उच्च-विस्फोटक वारहेड को ले जाने में सक्षम है।

- फायर-एंड-फॉरगेट:** दागने के बाद किसी अतिरिक्त ऑपरेटर इनपुट की आवश्यकता नहीं होती।
- इसकी लगातार विकसित होती क्षमता—अधिक दूरी, गति और स्टील्थ तकनीक—ब्राह्मोस को विश्व की अग्रणी क्रूज मिसाइल प्रणालियों में शीर्ष पर स्थापित करती है।

Source: TH

टेक्स-रैम्प्स(Tex-RAMPS) योजना

समाचार में

- भारत सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिए टेक्सटाइल्स फोकस्ड रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड स्टार्ट-अप (Tex-RAMPS) योजना को मंजूरी दी है।

टेक्सटाइल्स फोकस्ड रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड स्टार्ट-अप (Tex-RAMPS) योजना

- यह अनुसंधान, डेटा और नवाचार को एक साथ लाकर भारत के वस्त्र क्षेत्र को सशक्त बनाती है तथा राष्ट्र को स्थिरता, प्रौद्योगिकी एवं प्रतिस्पर्धा में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करती है।
- इसे अनुसंधान, डेटा प्रणाली, नवाचार समर्थन और क्षमता विकास में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए तैयार किया गया है।
- इसे एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जिसका पूरा वित्तपोषण वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

विशेषताएँ

- अनुसंधान और नवाचार:** स्मार्ट टेक्सटाइल्स, स्थिरता और उभरती प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाकर नवाचार क्षमता को सुदृढ़ करना।
- डेटा, एनालिटिक्स और डायग्नोस्टिक्स:** रोजगार अध्ययन, आपूर्ति श्रृंखला मानचित्रण और साक्ष्य-आधारित नीति के लिए सुदृढ़ प्रणालियाँ बनाना।
- इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स स्टैटिस्टिकल सिस्टम (ITSS):** संरचित निगरानी और निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय विश्लेषण मंच तैयार करना।

- क्षमता विकास और ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र:** राज्य-स्तरीय योजना को सुदृढ़ करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और कार्यशालाओं व क्षेत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- स्टार्ट-अप और नवाचार समर्थन:** इनक्यूबेटर्स, हैकाथॉन और अकादमिक-उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना ताकि उच्च-मूल्य वस्त्र उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा सके।

लाभ

- वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना
- अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना
- डेटा-आधारित नीति निर्माण में सुधार करना
- रोजगार के अवसर उत्पन्न करना
- राज्यों, उद्योग, अकादमिक जगत और सरकारी संस्थानों के बीच गहरा सहयोग बढ़ाना

Source :PIB

बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025

समाचार में

- मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय ने ‘बेसिक एनिमल हज़बेंडी स्टैटिस्टिक्स 2025’ का वार्षिक प्रकाशन जारी किया।

परिचय

- यह दूध, अंडे, मांस और ऊन उत्पादन पर व्यापक आँकड़े प्रदान करता है, साथ ही प्रति व्यक्ति उपलब्धता एवं उत्पादन में शामिल पशुओं की राज्यवार अनुमानित संख्या भी देता है।

मुख्य निष्कर्ष

- दूध :**
 - भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, 2024-25 में 247.87 मिलियन टन उत्पादन किया गया, जो विंगत वर्ष से 3.58% अधिक है।

- ▲ प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर 485 ग्राम/दिन हो गई।
- ▲ शीर्ष उत्पादक राज्य: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र (कुल 54.09%)।
- ▲ वृद्धि: संकर गाय (+4.97%), देशी गाय (+3.51%), भैंस (+2.45%)।
- अंडे:
 - ▲ भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है, 2024-25 में 149.11 बिलियन अंडे उत्पादित हुए, जो 4.44% की वृद्धि है।
 - ▲ प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर 106 अंडे/वर्ष हो गई।
 - ▲ प्रमुख योगदानकर्ता राज्य: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक (कुल 64.37%)।
 - ▲ वाणिज्यिक पोल्ट्री का योगदान 84.49%, जबकि पिछवाड़ा पोल्ट्री (Backyard Poultry) का योगदान 15.51%।
- मांस:
 - ▲ भारत विश्व में चौथे स्थान पर है, 2024-25 में 10.50 मिलियन टन उत्पादन हुआ, जो 2.46% अधिक है।
 - ▲ पोल्ट्री का योगदान आधा उत्पादन (5.18 मिलियन टन) है।
 - ▲ प्रमुख योगदानकर्ता राज्य: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (कुल 57.55%)।
- ऊन:
 - ▲ उत्पादन 34.57 मिलियन किलोग्राम तक पहुँचा, जो 2.63% की वृद्धि है।
 - ▲ राजस्थान 47.85% के साथ अग्रणी है, इसके बाद जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश आते हैं, जो मिलकर 85.98% योगदान करते हैं।

Source :PIB

केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) को भंग करने के लिए कोई कदम न उठाए, जब तक कि पूर्व न्यायालय से पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ले।

परिचय

- कैबिनेट सचिवालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का उदाहरण देते हुए कहा कि NGT और CEC दोनों के कार्यरत रहने से एजेंसियों की दोहराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे उनके अधिकार क्षेत्र तय करने में देरी हो रही है।
- कैबिनेट सचिवालय ने पर्यावरण मंत्रालय से CEC के भविष्य का मामला विधि आयोग को भेजने को कहा था।

केंद्रीय सशक्त समिति

- CEC का गठन 2002 में (और 2008 में पुनर्गठन) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एन. गोदावर्मन थिरमुलपद बनाम भारत संघ के निर्णय के अंतर्गत किया गया था।
 - ▲ यह 2023 में एक वैधानिक निकाय बन गई।
- समिति पर्यावरण मंत्रालय में केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करती है।
- **संरचना (Composition):** एक सदस्य सचिव और शेष तीन विशेषज्ञ सदस्य, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा नियुक्त सिविल सेवक होते हैं।
- **कार्य (Functions):** यह समिति पर्यावरण और वन मामलों से संबंधित रिट याचिकाओं पर न्यायालय को परामर्श देती है और उसके आदेशों की निगरानी व अनुपालन में सहायता करती है।
 - ▲ CEC किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर भी विचार करती है।

Source: IE

स्काईरूट का प्रथम ऑर्बिटल रॉकेट, विक्रम-I

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैपस और स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-I का उद्घाटन किया, जिसमें उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता है।

क्या आप जानते हैं?

- स्काईरूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसकी स्थापना पवन चंदना और भारत धाका ने की थी। दोनों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के पूर्व छात्र एवं इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने बाद में उद्यमी बनने का मार्ग चुना।
- नवंबर 2022 में स्काईरूट ने अपना सब-ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-S लॉन्च किया, जिससे वह अंतरिक्ष में रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली प्रथम भारतीय निजी कंपनी बन गई।
- निजी अंतरिक्ष उद्यमों का तीव्रता से उभार विगत कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों की सफलता का प्रमाण है, जिसने भारत की स्थिति को एक आत्मविश्वासी और सक्षम वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में सुदृढ़ किया है।

विक्रम-I (Vikram-I)

- इसे स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है और इसका नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है।
- यह भारत का पहला निजी ऑर्बिटल-क्लास लॉन्च वाहन है, जिसे छोटे उपग्रह बाजार की सेवा के लिए तीव्र और किफायती प्रक्षेपण हेतु डिज़ाइन किया गया है।

- यह चार-चरणीय, 20-मीटर लंबा रॉकेट है, जो 1,200 kN थ्रस्ट उत्पन्न करता है और इसमें ऑल-कार्बन कंपोजिट संरचना है।
- इसमें ठोस ईंधन वाले चरणों के साथ एक हाइपरगोलिक लिकिवड अपर स्टेज है, जो सटीक संचालन सुनिश्चित करता है।
- यह निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में 350 किलोग्राम और सूर्य-समकालिक कक्षा (SSO) में 260 किलोग्राम तक उपग्रह तैनात कर सकता है।
- मिशन प्रोफाइल के आधार पर इसकी विशिष्ट पेलोड क्षमता है, जैसे 500 किमी SSO में 290 किग्रा और 500 किमी LEO (45-डिग्री झुकाव पर) में 480 किग्रा।
- प्रमुख नवाचारों में 3D-प्रिंटेड इंजन, उन्नत एवियोनिक्स और लो-शॉक सेपरेशन सिस्टम शामिल हैं।

प्रासंगिकता

- विक्रम-I की प्रथम उड़ान 2026 की शुरुआत में होने वाली है, जो 2030 तक भारत की अनुमानित \$77 बिलियन की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का समर्थन करेगी।
- उद्योग जगत के नेताओं ने इसके महत्व को रेखांकित किया है—यह इसरो का भार कम करेगा, स्वदेशी कक्षा तक पहुँच को बढ़ावा देगा और भारत के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करेगा।
- यह उपग्रह तैनाती और रक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण एवं बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों को तीव्र करेगा, जिससे भारत एक वैश्विक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित होगा।

Source :IE

